सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलेक्टर /उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला-

प्रकरण : संख्या – 69/17 शीर्षक ..... बनाम .....

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
23/5/18	प्रस्तावकी वादिया के प्रपत्र पर पेश हुई। वादिया ने प्रपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस प्रकरण के संबंध आपसी समझौता हो चुका है कि ग्राम रेलमगरा के भूमि 1859, 2861, 3398/2869 कुल किता 03 रकबा 10-12 बीघा मे वादीया ने अपने हिस्से के कागजे पत्र कर उक्त आराजीयात मे कोई हक हिस्सा नही चाहा गया। और अपील उक्त वाद मे कोई नही करना चाही अतः वादिया का वाद समझौता अनुसार खारिज किया जाता है।
जमीला शेख 23/5/18	

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सेवामें,

श्री

प्रस्तुतकर्ता :-

जमीला शेख

उक्त प्रकरण

1- यहकि उ

भांजी व

रेलमगरा

3398/2

मुद्दा वादी

प्रतिवादी

अब मेरा

तथा उक्त

/2017 रे. वाद

खारिज फरमाया

दिनांक :-23.5.